	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 09, गुरूवार, शाके -1943-दिसम्बर 30, 2021 *Pausa 09, Thursday , Saka 1943- December 30, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

एस.ओ.234 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ.234 संख्या दिनांक 03.05.2020 में प्रकाशित हुई है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7 एवं 8 व उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है और एक नई प्रविष्ठि 7 के पश्चात् एवं 8 से पूर्व 7ए निम्नानुसार जोडी जाती है:-

"

7.	कोई भी व्यक्ति विवाह संबंधी समारोह में संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना 200 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करता है।	10,000/-
7ए.	विवाह संबंधी आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नही करने पर, सामाजिक दूरी नही बनाये जाने की स्थिति में, नो मॉस्क-नो एन्ट्री की पालना नही करने पर, उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज नही करने पर।	10,000/-
8.	किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7 के उल्लंघन पर।	10,000/-

"

[प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.